an>

Title: Regarding the right of the representative of the India Parliament

श्री संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि मेरे अधिकार का हनन हुआ है। आज जिसे लोकतंत्र का पवित्र मंदिर माना जाता है, मैं उस संसद का सदस्य हूं। मेरा प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले हर प्रतिनिधि को अधिकार होता है, लेकिन मुझे यह बताते हुए बहुत खेद हो रहा है। मेरे साथ ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर सारा सदन शर्मसार हो सकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र महाराऐट्र के परभणी में मेरे घर के सामने कुछ लड़कों के बीच विगत 31 दिसम्बर को मारपीट की घटना हुई। मुझे पता चलते ही मैंने पुलिस को इनफॉर्म किया, फिर भी पुलिस ने लापरवाही दिखाई। पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंची। कुछ देर बाद मुझे फोन आया कि स्थिति तनावपूर्ण बन रही है। मैंने फिर से पुलिस को इनफॉर्म किया। वास्तव में उस समय मैं अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल में था, लेकिन मारपीट की घटना की स्थिति गंभीर बनने के कारण मैं वैसे ही गाड़ी से पत्नी के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया। वहां पर एक युवक के चेहरे पर चोट आयी थी और वह शराब के नशे में थे। उस समय पुलिस भी वहां पहुंची थी। फिर सब मामला शांत हो गया।...(व्यवधान) पुलिस वहां पर पहुंच गई। दूसरे दिन मुझे पता चला कि पूर्वाग्रह भावना से जिस लड़के के चेहरे पर चोट आयी थी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। बगैर छानबीन किए मेरे खिलाफ 307 की शिकायत दर्ज की। महोदया, मुजरिम को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन मेरा जिस घटना से दूर-दूर तक संबंध नहीं है उस घटना में पूर्वाग्रह दूऐित भावना से मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करना न सिर्फ मेरा अपमान है, बल्कि संसद का और लोकशाही का भी अपमान है।

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद सावंत, श्री राहुल शेवाले, श्री गजानन कीर्तिकर,

श्रीमती भावना गवली और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा उठाए गए विऐय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। If you want, you can give it to me. I will see to it.

The House stands adjourned to meet again at 2.30 pm.

13.32 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

HON. SPEAKER: Hon. members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.